

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन साहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (रि.क.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविर 2025 कैम्प स्थल -

करजासी



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 545/25

वापर दिनांक

03-10-25

निर्णय दिनांक

03-10-25

100

वार्डन केव शिवर-2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कपासन आदेश
1	<u>दशरथी</u> <u>का खंडा</u>	<u>132</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी बड़ीदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शुद्ध प्रविष्टी	कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुसंधान स्वीकार का आकर राज. भू.रा.अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यादेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>दशरथी</u> का <u>खंडा</u> प्र.सं. <u>करजासी</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ीदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरधर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
	पटवारी हस्ताक्षर	<u>करजासी</u>	<u>03-10-25</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

करजासी

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने के लिए जिला चित्तौड़गर

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन